www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 159 नागपुर, शनिवार, 6 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

डूब चुके कर्ज पर अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को डूब चुके कर्ज से निपटने के मामले में अध्यादेश पर शुक्रवार को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गयी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जो बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन करेगा। अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बुधवार को मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया।केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, अध्यादेश डूबे ऋण के मामले से निपटने के लिए आरबीआई को अधिक शक्तियां प्रदान करेगा।

ट्रिपल तलाक का दर्द झेल रही मुस्लिम महिलाओं को असम सरकार देगी पेंशन

गुवाहाटी

असम के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार मुस्लिम महिलाओं जो ट्रिपल तलाक का दर्द झेल रही हैं, को पेंशन और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जो कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीन तरकों के पीड़ित हैं।

हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, सभी महिला तलाकशुदाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे लाभदायक रोजगार प्राप्त कर सकें। लेकिन मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए हमने प्रशिक्षण अवधि के दौरान पेंशन देकर विशेष सहायता का प्रस्ताव दिया है। हमने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है, क्योंकि मुस्लिम तलाकशुदा को अपने पूर्व पति से कोई भत्ता या समर्थन नहीं मिलता है। हालांकि हिंदू तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलता है। पिछले दिनों उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तीन तलाक का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। अब ऐसा लगता है कि ये नया मुद्दा भाजपा के हाथ लग गया है। वैसे बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से दो बच्चों के नियम का पालन न करने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द करने का अनरोध किया है।

मालेगांव ब्लास्ट: पुरोहित की जमानत पर सुको ने महाराष्ट्र सरकार और एनआइए से मांगा जवाब

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत अर्जी पर महाराष्ट्र सरकार और एनआइए को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा। आपको बता दें कि पुरोहित ने मालेगांव ब्लास्ट के सह आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली जमानत के आधार पर अपनी भी जमानत की मांग की है। पिछले 25 अप्रैल को इस मामले में साध्वी प्रज्ञा को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, मगर पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वकील नीला गोखले ने चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने मामला रखा, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार और एनआइए को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा गया।

निर्भया कांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सजा-ए-मौत का फैसला

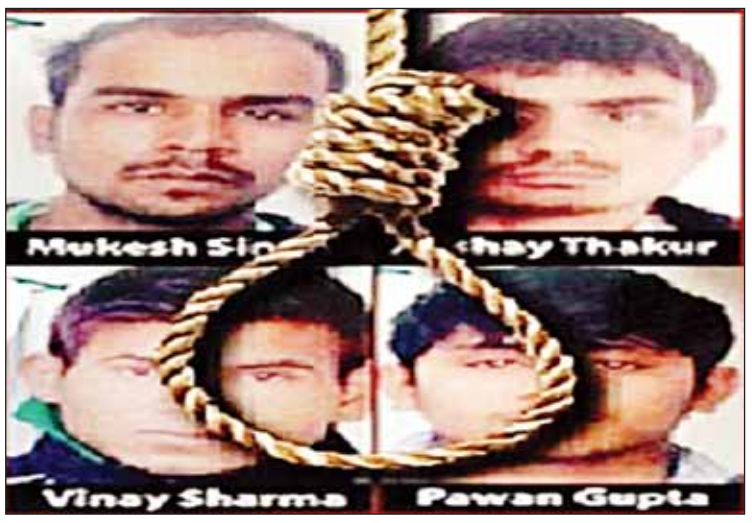

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2012 के गैंगरेप और हत्याकांड के चार दोषियों पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों की सजा-ए-मौत के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चारों अपराधियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ठुकराते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा।

कोर्ट ने निर्भया के साथ हुई बर्बर घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जघन्य अपराध था और इसे विरलों में विरलतम (रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर) की श्रेणी में रखा जाना उचित है। तीनों न्यायाधीशों का फैसला सहमति वाला था लेकिन न्यायमूर्ति भानुमति ने इस मामले में अलग से अपना आदेश सुनाया। वकीलों और मीडियाकर्मियों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में निर्भया के माता-पिता भी मौजूद थे। कोर्ट ने कहा निर्भया कांड सदमे की सुनामी था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस घिनौने कांड के लिए देश में कोर्ट के फैसले से अलग संदेश जाएगा जो जरूरी भी है।

शीर्ष अदालत ने चारों दोषियों- मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की अपीलों पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। चारों ने 13 मार्च, 2014 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी। इन चारों के अलावा एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को बाल अपराध न्याय बोर्ड ने सुधारगृह भेज दिया था। उसने सुधारगृह में सजा के अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं।

नहीं भूलेगी 16 दिसंबर 2012

साल 2012 में 16 दिसंबर की रात को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में जघन्य तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे उसके एक दोस्त के साथ निर्वस्त्र बस से बाहर फेंक दिया गया था। अगली सुबह इस कांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस कांड को निर्भया नाम दिया गया।

निर्भया की जिंदगी बचाने के लिए उसे सिंगापुर में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में वो जिंदगी की जंग हार गई लेकिन कोर्ट ने उसे न्याय दिया है।

ये फैसला सिर्फ हमारा नहीं था बल्कि यह फैसला पूरे समाज का था - निर्भया की मां

देश को हिला देने वाले बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप मामले में चारों गुनहगारों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी है। इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और निर्भया कांड नाम से चर्चित रहा था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों- मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को फांसी की सजा बरकरार रखी है। फैसले के बाद निर्भया के पिता ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद थी और सही मायने में अब सुप्रीम इंसाफ हुआ है। निर्भया के साथ-साथ समाज व देश को न्याय मिला है, वहीं निर्भया की मां ने कहा, ये फैसला सिर्फ हमारा नहीं था बल्कि यह फैसला पूरे समाज का था। मैं सभी का धन्यवाद करती हूं, आज निर्भया को इंसाफ मिला। नाबालिग दोषी के छूटने पर निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें यह गम पूरी जिंदगी रहेगा।

निर्भया के दोषियों के पास फांसी से बचने के लिए अब ये '3 रास्ते'

निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा या उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक, आरोपी अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह के पास मौत की सजा से बचने के बहुत ही सीमित विकल्प रह गए हैं।

पुनर्विचार याचिका

निर्भया से गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने फांसी की सजा सुनाई है। अब मौत से बचने के लिए ये चारों बड़ी खंडपीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। बड़ी खंठपीठ से आशय है, तीन जजों से ज्यादा जजों वाली खंडपीठ।

राष्ट्रपति के सामने दया याचिका

अगर दोषियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाती है तो ये चारों राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर अपनी जान बख्शने की गुहार लगा सकते हैं। इसके बाद यह फैसला पूरी तरह से राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह इनकी फांसी की सजा को बरकरार रहने दें या फिर उसे उम्रकैद में तब्दील कर दें। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर इस बारे में फैसला लेते हैं।

क्यूरेटिव पिटीशन

क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जाती है जब किसी दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दोनों खारिज हो गई हो।

ऑपरेशन क्लीनअप: कश्मीर में हेलिकॉप्टर और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश

श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के शोपियां व पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों ने गुरवार को करीब 20 गांवों में आतंकियों के खिलाफ साढ़े दस घंटे तक तलाशी अभियान ऑपरेशन क्लीनअप चलाया। इस दौरान दो गांवों में सुरक्षाबलों को हिंसक ग्रामीणों पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। अभियान के दौरान सेना के दस्ते पर आतंकियों के हमले में एक नागरिक की मौत हो गई।

18 साल में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई

वादी में 18 साल में किसी इलाके में एकसाथ एक दर्जन से ज्यादा गांवों की घेराबंदी कर तलाशी लेने का यह पहला मामला है। इस तरह के तलाशी अभियान 90 के दशक में होते थे। सुबह पांच बजे से दोपहर साढ़े तीन बजे तक इस अभियान के दौरान लगभग चार हजार सुरक्षाकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सेना के हेलिकॉप्टर और ड्रोन गांवों के ऊपर मंडराते रहे। 30 आतंकियों का वीडियो वायरल हुआ था एसएसपी शोपियां ताहिर सलीम ने कहा कि जिन गांवों की तलाशी ली गई, वह जिला पुलवामा और शोपियां के अंतर्गत आते हैं। ये सभी गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन इलाके

में विदेशी सहित दो दर्जन आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।

30 आतंकियों का वीडियो वायरल

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जिन 30 आतंकियों का वीडियो वायरल हुआ था, उनमें से कुछ इसी इलाके में तीन दिन के भीतर देखे गए हैं। आतंकी ट्रेनिंग वाला वीडियो भी यहीं बना है।

दुर्दांत आतंकी सुरक्षाबलों के घेरे में फंसा, शरारती तत्वों ने किया पथराव

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के खुडवनी क्षेत्र में गुरुवार को सुरक्षाबलों ने लश्कर के दुर्दांत स्थानीय आतंकी जुनैद मट्टू को उसके साथी संग घेर लिया। इसी दौरान आतंकी को बचाने के लिए शरारती तत्वों ने सुरक्षाबलों पर पथराव शुरू कर दिया।■ शेष पृष्ठ 2 पर

भारत की बड़ी छलांग: साउथ एशिया सैटेलाइट लांच

सार्क देशों को भारत का गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

चेन्नई

भारत ने सफलतापूर्वक दक्षिण एशिया संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जिसका पूरी तरह वित्त पोषण भारत कर रहा है और इसे दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के लिए अमूल्य उपहार बताया जा रहा है जो क्षेत्र के देशों को संचार और आपदा के समय में सहयोग देगा। इस सैटेलाइट के लॉन्च से दक्षिण एशियाई देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने इस बड़ी सफलता पर इसरो को बधाई दी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट..9 को एसएएस रोड पिग्गीबैक कहा जाता है जिसे 50 मीटर लंबे रॉकेट स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाले जीएसएलवी से प्रक्षेपित किया गया है।

आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी..एफ09 को शाम चार बजकर 57 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया और इसे जीसैट..9 से कक्षा में स्थापित किया गया।

प्रक्षेपण की सफलता की घोषणा करते हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया, दक्षिण एशियाई उपग्रह का सफल प्रक्षेपण ऐतिहासिक क्षण है। इससे समझौते के नये आयाम खुलेंगे। इससे दक्षिण एशिया और हमारे क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। जीएसएलवी..एफ09 मिशन जीएसएलवी की 11वीं उड़ान है।

जीसैट..9 2230 किलोग्राम की वहनक्षमता वाला भूस्थतिक संचार उपग्रह है जो केयू..बैंड में दक्षिण एशियाई देशों को विभिन्न संचार सेवा मुहैया कराएगा।

इस सैटेलाइट की मदद से प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग की जा सकेगी, टेली मेडिसिन, शिक्षा में सहयोग बढ़ेगा। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी की दशा में संवाद-लिंक का माध्यम होगी। यह अंतरिक्ष आधारित टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में मदद करेगा। इसमें भागीदारी देशों के बीच हॉटलाइन उपलब्ध करवाने की भी क्षमता है।

बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने घोषणा की थी कि दक्षिण एशिया उपग्रह अपने पड़ोसी देशों को भारत की ओर से कीमती उपहार होगा।

मोदी ने कहा था कि पांच मई को भारत दक्षिण एशिया उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। इस सैटेलाइट को कूटनीतिक स्तर पर भारत के मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। इससे पहले संचार उपग्रह जीएसएटी-8 का प्रक्षेपण 21 मई 2011 को फ्रेंच गुएना के कोउरो से हुआ था।

सार्क देशों को क्या फायदे होंगे और इसकी खूबियों पर एक नज़र

इसरो के मुताबिक-इसके जरिए सभी सहयोगी देश अपने-अपने टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकेंगे। किसी भी आपदा के दौरान उनकी संचार सुविधाएं बेहतर होंगी। इससे देशों के बीच हॉटलाइन की सुविधा दी जा सकेगी और टेली मेडिसिन सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

साउथ एशिया सैटेलाइट की लागत करीब 235 करोड़ रुपए है जबकि सैटेलाइट के लॉन्च समेत इस पूरे प्रोजेक्ट पर भारत 450 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। अफगानिस्तान ने अभी साउथ एशिया सैटलाइट की डील पर दस्तखत नहीं किए हैं, क्योंकि उसका अफगानसैट अभी काम कर रहा है। यह भारत का ही बना एक पुराना सैटलाइट है, जिसे यूरोप से लीज पर लिया गया है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

समाजवादी सेक्युलर मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाएंगे शिवपाल, मुलायम होंगे अध्यक्ष

लखनऊ

उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी टूट ही गई। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी सेक्यूलर मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस नई पार्टी के अध्यक्ष सपा के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव होंगे।

इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी के सम्मान के लिए नई पार्टी का गठन कर रहा हूं। अभी दो रोज पहले उन्होंने इटावा में इसके संकेत भी दिए थे। हालांकि उस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा था कि वह इस पद को छोड़ दें और मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दें।

उल्लेखनीय है कि यूपी चुनावों के बाद से इटावा के जसवंतनगर से विधायक और सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव लगातार अखिलेश और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव पर निशाना साध रहे थे। शिवपाल शुक्रवार को पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने इटावा पहुंचे। उसके बाद अपने बहनोई डॉ. अजंट सिंह के घर मीडिया से मुलाकात कर नई पार्टी बनाने का बड़ा बयान दे दिया। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

चूहे गटक गए 9 लाख लीटर शराब

नई दिल्ली

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी के फैसले के दौरान राज्य में लाखों लीटर शराब जब्त की गई। अब खबर ये आ रही है कि जब्त की गई शराब की खेप मालखाने में रखे-रखे चूहे गटक गए। करीब 9 लाख लीटर शराब मालखाने से चूहों द्वारा गटके जाने का मामला सामने आया है। बिहार में पूर्ण शराब बंदी के मद्देनजर सघन अभियान के दौरान राज्य में जब्त के बाद पुलिस मालखाने में रखी करीब 9 लाख लीटर से अधिक शराब के चूहों द्वारा गटक जाने का मामला प्रकाश में आया है।

जांच के दिए गए आदेश

मीडिया में आई रिपोर्ट के आधार पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने बताया कि पटना क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पिछले 13 महीने के दौरान 9.15 लाख लीटर अल्कोहल, देशी और विदेशी शराब जब्त

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 13 महीने के दौरान 9.15 लाख लीटर अल्कोहल, देशी और विदेशी शराब जब्त की गयी और पुलिस क्राईम मीटिंग के दौरान यह बात सामने आयी कि इसमें से एक बडा हिस्सा पुलिस थाना लाने के क्रम में बरबाद हो गया, जबकि उतनी ही बडी मात्रा को चूहे पुलिस मालखाना में हजम कर गए। पटना क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक नय्यर हसनैन खान ने बताया कि उन्होंने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पुलिस मालखाने से इसका भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बिहार में करीब 1053 पुलिस थाने हैं। इस बीच पुलिस ने बिहार पुलिस मेंस एसोसियेशन के अध्यक्ष और एक सदस्य को शराब सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि पुलिस टीम ने एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल सिंह और एक अन्य सदस्य शमशेर सिंह को चंद दिन पहले पुलिस लाइन में शराब पीते गिरफ्तार कर लिया.दोनों को उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश रविंद्र नाथ त्रिपाठी के समक्ष पेश किया गया और उन्हें नए मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आगामी 18 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश पर कसा तंज

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस बात का मजाक बनाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, नीतीश कुमार के शराबबंदी फैसले का सबसे ज्यादा फायदा बिहार पुलिस स्टेशन के चूहों को हुआ।